

मुख्यमंत्री युवा खेल प्रोत्साहन योजना

1. योजना का उद्देश्य:

हिमाचल प्रदेश में युवाओं का खेलों के प्रति रुझान बढ़ाने तथा उनको खेल गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करने के साथ-साथ आम जनमानस में भी फिट रहने के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में चरणबद्ध रूप से खुले जिम पार्क की सुविधा सहित यथा सम्भव फुटबॉल फील्ड के आकार के दो बहुउद्देशीय खेल मैदानों का निर्माण करवाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इसके क्रियान्वयन से प्रदेश के युवा वर्ग में खेलों के प्रति रुझान होने के साथ ही प्रदेश के आम जनमानस को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरणा भी मिलेगी तथा वे नशे से दूर भी रहेंगे।

2. योजना का क्षेत्र:

प्रदेश के समस्त विधानसभा क्षेत्रों में यथासंभव फुटबॉल फील्ड के आकार के दो बहुउद्देशीय खेल मैदान (जिम पार्क की सुविधा सहित) प्रति विधान सभा क्षेत्र की दर से चरणबद्ध रूप से निर्मित करवाए जाएंगे।

3. बजट का प्रावधान:

आरम्भ में इस योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मु0 15 लाख रुपये प्रति मैदान की दर से राशी उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे अधिक धनराशी की आवश्यकता होने पर इसे MGNREGA, VKVNY, MPLADS, 14th Finance Commission Grants इत्यादि योजनाओं के साथ समन्वय बिठा कर व्यवस्थित किया जाएगा। इस पर व्यय होने वाली धनराशि का आहरण मुख्य शीर्ष 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-03- खेलकूद तथा युवा सेवाएं-102- खेल क्रिड़ा स्थल -05-मुख्य मंत्री खेल प्रोत्साहन योजना - ऑब्जेक्ट कोड 37- मुख्य निर्माण कार्य-सून (गैर योजना) वर्ष 2021-22 के अंतर्गत किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए प्रथम चरण में प्रदेश के सभी विधान सभा क्षेत्रों में एक-एक फुटबॉल फील्ड के आकार का बहुउद्देशीय खेल मैदान खुले जिम सहित बनाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में मु0 10,20,00,000/- (दस करोड़ बीस लाख) रुपये का बजट रखा जाएगा।

4. स्वीकार्य कार्य:

- (i) योजना के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय माननीय विधायक से संस्तुति प्राप्त करने के पश्चात् यथासंभव फुटबॉल फील्ड के आकार के दो बहुउद्देशीय खेल मैदानों का निर्माण चरणबद्ध रूप से किया जायेगा जिनमें आम जनमानस को अच्छे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से एक जिम पार्क की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इन मैदानों में विभिन्न खेल आयोजित करवाई जा सकेगी।

- (ii) योजना के अंतर्गत आवश्यकता अनुसार मैदान को समतल करना सुरक्षा एवं रोक दिवार के साथ-साथ दर्शक दीर्घा, खिलाड़ियों के लिए चेंज रूम, शौचालय व खुले जिम पार्क के लिए स्थल विकास आदि के निर्माण सम्बन्धी कार्य करवाए जा सकेंगे। खिलाड़ियों की सुविधा के दृष्टिगत मैदान के निर्माण अथवा समतलीकरण के कार्यों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

5. स्थल चयन एवं औपचारिकताएं:

- (i) ऐसे सभी बहुउद्देशीय खेल मैदान जिनमें कम से कम फुटबाल का खेल आयोजित हो सके इस योजना के अंतर्गत निर्माण के लिए मान्य होंगे। यदि प्रस्ताव किसी सरकारी शिक्षण संस्थान/ग्राम पंचायत से हो या किसी अन्य सरकारी भूमि पर प्रस्तावित हो तो संबंधित विभाग/संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। जबकि किसी भी प्राईवेट संस्था/ईकाई से सम्बन्धित प्रस्ताव होने की अवस्था में स्वीकृति से पूर्व ही प्रस्तावित भूमि को युवा सेवा एवं खेल विभाग हि0प्र0 के नाम पर स्थानान्तरित किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ii) इस योजना के अन्तर्गत किसी भी जाति या धर्म विशेष या इन पर आधारित संस्थाओं के प्रस्तावों को स्वीकार अथवा अनुमोदित नहीं किया जाएगा।
- (iii) किसी भी सरकारी पाठशाला आदि की भूमि से सम्बन्धित प्रस्तावों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी परन्तु ऐसे प्रस्ताव की स्वीकृति से पूर्व उक्त संस्था के प्रभारी को मैदान निर्मित हो जाने के पश्चात् पाठशाला बंद होने की अवस्था में मैदान को आम जनता के लिए निःशुल्क उपलब्ध करवाने सम्बन्धी अपना अनापत्ति एवं सहमति प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (iv) निर्माण के पश्चात् उक्त मैदान के संचालन तथा रख रखाव का उत्तरदायित्व प्रायोजक संस्था का ही होगा तथा मैदान निर्माण की स्वीकृति से पूर्व उक्त संस्था को इससे सम्बन्धित अपना यह शपथ पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा कि उनके द्वारा प्रस्तावित मैदान निर्माण के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि अथवा निर्मित मैदान को किसी भी जाति या धर्म विशेष या फिर इन पर आधारित संस्थाओं के उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा।
- (v) इस योजना के अंतर्गत निर्मित किए जाने वाले खेल मैदानों की भूमि का स्वामित्व किसी एक विभाग/संस्था के पास है तथा उसके द्वारा किसी अन्य विभाग/संस्था के पक्ष में खेल मैदान विकास व रख-रखाव हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर प्राधिकृत करता है तो उस स्थिति में खेल मैदान का नियन्त्रण/स्वामित्व मैदान निर्माण कर्ता विभाग/प्रायोजक संस्था के पास ही रहेगा तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने वाले विभाग का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।

6. प्रस्ताव के लिए अनिवार्य दस्तावेज:

मैदान के लिए चयनित भूमि के राजस्व दस्तावेज, किसी भी सरकारी संस्था द्वारा निर्मित प्राक्कलन तथा रेखाचित्र, साईट प्लान तथा अन्नापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि मूलरूप में संलग्न करके दो परता प्रस्ताव सम्बन्धित जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी के माध्यम से निदेशक युवा एवं खेल विभाग हि0प्र0 को स्वीकृति के लिए प्रेषित किए जाएंगे।

7. कार्य निष्पादन संस्था:

स्वीकृति के उपरान्त खेल मैदान निर्माण कार्य, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/ प्राधिकृत किसी भी संस्था के माध्यम से करवाया जाएगा। निर्माणकार्य को उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाना भी अनिवार्य होगा। निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं अभिलेख की लेखा परीक्षा इत्यादि के लिए आवेदक संस्था ही उत्तरदायी होगी। आवेदक संस्था को कार्य पूर्ण होने के तुरन्त पश्चात् कार्य के लिए प्रदान की गई धनराशि का उपयोगिता तथा कार्यपूर्णता प्रमाणपत्र, सम्बन्धित जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी कार्यालय में जमा करवाना होगा। कार्य की गुणवत्ता आदि को सम्बन्धित जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी द्वारा ही सत्यापित किया जाएगा।

8. धनराशि का वितरण:

योजना के अंतर्गत स्वीकृत प्रस्तावों के लिए धनराशि का वितरण 50 प्रतिशत की दर से दो किश्तों में किया जाएगा। प्रथम किश्त कार्य आरम्भ करने हेतु स्वीकृति आदेश के साथ ही जारी कर दी जाएगी जबकि दूसरी व अन्तिम किश्त पूर्व में जारी धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होने तथा सम्बन्धित जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी के द्वारा निर्माण कार्य का निरीक्षण व सत्यापन करने के पश्चात् ही जारी की जाएगी। यहाँ यह भी ध्यान रहे कि इस उद्देश्य के लिए जितनी धनराशि प्रदान की गई है, उसी से मैदान का कार्य पूर्ण करना होगा, तथा कोई भी अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान नहीं होगा।

9. निर्माण कार्य की समीक्षा:

जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी निर्माण कार्य की समय-समय पर समीक्षा करेंगे और निर्माण कार्य की मासिक/त्रैमासिक भौतिक तथा वित्तीय प्रगति रिपोर्ट निर्माण कर्ता संस्था से प्राप्त करके निदेशालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे, जिसके लिए वे बधनबद्ध होंगे ताकि इस योजना का दुरुपयोग न हो सके तथा प्रदेश में समी दर्ग को इस खेल प्रोत्साहन योजना का लाभ मिल सके।